पत्रांक -425(HS)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
बिहार ।

पटना, दिनांक 29 /08 /2012

विषयः डियूटी के दौरान Apron/ड्रेस पहने के संबंध में ।

महाशय,

प्रायः ऐसी सूचना मिलती है कि जिला के सभी अस्पतालों के पारा कर्मियों एवं चिकित्सक निर्धारित ड्रेस कोड का अनुपालन नहीं करते है । न तो Apron/ड्रेस पहनते है और न ही लेपल कार्ड ही धारण करते है, फलतः आम जनता एवं चिकित्सकों में भेद कर पाना मुश्किल होता है । इसी तरह नर्स भी अपनी डियूटी के दौरान ड्रेस में नहीं रहती है एवं अपना लेपल कार्ड भी धारण नहीं करती है ।

अतः दिनांक 22.08.2012 को राज्यस्तरीय बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में निदेश दिया जाता है कि सभी अस्पताल के प्रभारी/ सिविल सर्जन सुनिश्चित करायें कि पारा कर्मियों से लेकर चिकित्सक एवं नर्स निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करते हुए Apron तथा लेपल कार्ड धारण करना सुनिश्चित करें ।

कृपया इसका अनुपालन दृढ़ता से करायी जाय ।

विश्वासभाजन

29/8

(व्यास जी)
सरकार के प्रधान सचिव